



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड, जयपुर,
(फोन एवं फ़ैक्स- 0141-2719136)

क्रमांक प.6()/रा.सू.आ./संस्था./2023/ 1432

दिनांक- 13-4-2023

विज्ञप्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 की उप धारा (7) के अन्तर्गत नवगठित राजस्थान राज्य सूचना आयोग की जोधपुर बैंच में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को कार्मिक विभाग राज. जयपुर के परिपत्र एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28.03.2023 के अन्तर्गत संविदा पर पुर्ननियुक्त किया जाना है। कार्मिक विभाग, राज. के परिपत्र 28.03.2023 के परिशिष्ट-अ पर अंकितानुसार समेकित पारिश्रमिक पर सूचना आयोग, जोधपुर बैंच, जोधपुर में निम्नांकित पदों पर कार्य करने के इच्छुक स्थानीय सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी (जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हो) के आवेदन पत्र दिनांक 28.04.2023 तक आमन्त्रित किये जाते हैं।

1. निजी सहायक
2. रीडर
3. वरिष्ठ सहायक
4. कनिष्ठ सहायक
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

निजी सचिव/लिपिकीय वर्ग के लिये सेवानिवृत्त कर्मचारी की कम्प्यूटर पर हिन्दी में टाईपिंग में जानकारी वांछनीय है। शेष शर्तें उक्त परिपत्र के अनुरूप रहेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट ric.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर को संबोधित होगा।


(प्रियंका माँस्वामी)

सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग,
जयपुर

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में संविदा पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पदनाम :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन : सेवानिवृत्ति आदेश व एलपीसी की प्रति संलग्न करें।
9. मूल पेंशन राशि (पेंशन पेमेन्ट आर्डर की प्रति संलग्न करें)
10. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का वेतनमान व पे लेवल :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :
12. आवेदित पद का नाम :
13. सेवानिवृत्त कर्मचारी के निवास का पता मय मोबाईल नम्बर :

सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम व हस्ताक्षर

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28.03.2023 में दिये गये सहमत निर्बन्धों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बन्धों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम व हस्ताक्षर

जयपुर
दिनांक :